THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA): (a) to (c) The refunds under the Income-tax Act arise on account of various factors viz. excess payment on account of tax paid/deducted at source, relief as a result of appellate proceedings, revision and rectification of orders passed by the Assessing officers etc. Therefore, the information regarding the outstanding refundable amount of income-tax paid in excess by the assessee pending clearance during the last financial year and by when it will be refunded to the assesses will have to be collected from the field formations i.e. each ward/circle of the Income-tax Department spread all over India. This will involve huge effort, time and expenditure as no such statistics are being maintained because by the very nature of the claims, it is not possible to keep any record regarding various types of refunds. However, if the Hon'ble Member wants to have such information about any particular assessee, the same can be collected and furnished.

Necessary instructions have been issued from time to time for granting of refunds expeditiously. Instructions have also been issued that the refund vouchers must go along with the assessment orders and Dy. Commissioners should check about it once in a month and the supervisory Officers will look into this aspect while carrying out vigilance and regular inspections. The Inspections Division of the Board has been asked to specifically monitor compliance in this regard while inspecting the work of Income-tax Circles. Any complaints received in this context are dealt with most expeditiously by the Grievance Cells at the Central Board of Direct Taxes and each Chief Commissioner and Commissioner of Income-tax's levels. Introduction of computers in the Department is also likely to go a long way in streamlining the procedure and reducing delays in the issue of refunds.

बन्द कपड़ा मिलों की व्यवहार्यता

2339. **श्री मोर्जा इर्शादबेग :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियंत्रक एजेंसी ने बन्द पड़ी कपड़ा मिलों में से इक्कायन मिलों को किस तारीख को व्यवहार्य घोषित किया था, इस संबंध में क्या और कब उपाय किये गये हैं, कितने एककों को पुनः चालू किया गया है तथा उसके क्या-क्या कारण हैं;

(ख) बन्द मिलों के कितने कर्मकार प्रत्येक राज्य में बेरोजगार हो गये हैं, राज्यों के नाम क्या-क्या हैं, इनमें वस्त्र पुनर्वास निधि में से कितनी तथा किस तारीख को धनराशि खर्च की गयी थी या कितनी धन राशि खर्च किये जाने की योजना है तथा इसके कितने समय में खर्च किये जाने की संभावना है ; और

(ग) कपड़ा आधुनिकीकरण निधि में से कितनी धनराशि दी गयी है तथा यह धनराशि कब दी गयी और जिन्हें यह धन राशि दी गयी है उन व्यक्तियों के नाम क्या-क्या हैं, कितने एककों को आधुनिक बना दिया गया है और उसके क्या-क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) नोडीय अभिकरण ने 28-2-1986 और 20 मई, 1987 के बीच हुई अपनी 14 बैठकों में उन्हें भेजे गये विभिन्न रुग्ण बन्द पड़ी वस्त्र मिलों की मामलों की जांच की और उनमें से 51 को अर्थसक्षम समझा । नोडीय अभिकरण में ऐसी जांच के पश्चात् इन मिलों के लिये पुनर्स्थापन पैकेज तैयार किये हैं । आगे की कार्रवाई हेतु सुझाव दिये । नोडीय अभिकरण द्वारा अर्थसक्षम पाये गये 51 में से 16 बन्द पड़े एककों में से कोई भी एकक 31 मई, 1988 की स्थिति के अनुसार पुनः आरम्भ नहीं हुआ है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अस्तित्व में आने की तारीख अर्थात 1-8-1986 से विभिन्न मिलों को (30-6-1988 तक) 228.62 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया गया है । इस निधि योजना के अधीन

देय सहायता व्यक्तियों को प्रदान नहीं की जाती क्योंकि यह केवल कम्पनियों को दी जाती है । इस समय निश्चित रूप से यह बताना संभव नहीं है कि कितने एककों का आधुनिकीकरण किया गया है क्योंकि यह निधि योजना केवल दो वर्ष पुरानी है और इसके लिये औसत क्रियान्वयन अवधि लगभग 15 महीने है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	31-5-1988 की स्थिति के अनुसार सूती/मानव निर्मित रेशा वस्त्र मिलों के बन्द होने से प्रभावित कामगारों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	2077
2.	बिहार	621
3.	गुजरात	55905
4.	हरियाणा	5056
5.	कर्नाटक	7703
6.	केरल	2823
7.	मध्य प्रदेश	5813
8.	महाराष्ट्र	23127
9.	उड़ीसा	679
10.	राजस्थान	4779
11.	तमिलनाडु	12622
12.	उत्तर प्रदेश	14121
13.	पं. बंगाल	21563
	योग :	156889

दिनांक 30-6-1988 की स्थिति के अनुसार, वस्त्र कामगार पुर्नस्थापन निधि में से कोई भुगतान नहीं किया गया है । इस वस्त्र कामगार पुर्नस्थापन निधि के उपयोग हेतु कोई निश्चित समयावधि अथवा निधियों की राशि निर्धारित नहीं की गई है । तथापि, सरकार ने इस प्रयोजन के लिये अब तक 8 करोड रु. की राशि की व्यवस्था की है । इस निधि योजना के अधीन सहायता हेतु पात्र केवल उन्हीं मिलों के कामगार होंगे जो 6-6-1985 को अथवा उसके बाद बन्द हो गई है । अथवा जिन मिलों की परिसंपत्तियों पर परिसमापक ने कब्जा कर लिया हो ।

Loans advanced by Nationalised banks to various sectors

2340. DR. YELAMANCHILI SIVAJI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what is the rate of recovery of loans advanced by nationalised banks from agricultural, industrial, commercial and other sectors; and

(b) how much amount is locked up in each sector, separately ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO) : (a) and (b) Reserve Bank of India has reported that as at the end of June, 1987 the total overdues of Public Sector Banks amounted to Rs. 9733.11 crores constituting 16.8 per cent of their total outstanding advances. Sector-wise break up is given below :—

(Amount in Rs. crores)

Sector	Amount
(i) Industry	2613.37
(ii) Small Scale Industries including Industrial Estate	1936.80
(iii) Agriculture	2239.91
(iv) Other Priority Sector	1627.00
(v) All others	1316.03
TOTAL :	9733.11

Glut in Jute Market

2341. DR. YELAMANCHILI SIVAJI : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) whether it is fact that there is glut in Jute market; and